संख्या– 2690 /XV-2/1(28)/2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 5 अगस्त सितम्बर, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में मत्स्य विभाग को आयोजनेत्तर में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–792/लेखा–एक–17(10)/2010, दिनांक 13–08–2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–931/XV-2/1(28)/05, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या–1223/XV-2/1(28)/05, दिनांक 18 मई, 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनेत्तर वचनबद्ध मद में मत्स्य विभाग को मानक मद–02–मजदूरी में ₹2.00 लाख (₹दो लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 अनुसार विभागीय बचतों से पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. निदेशक, मत्स्य द्वारा सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से फॉट कर सम्बन्धित को सूचित करते हुये सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।
2. निदेशक, मत्स्य द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवाय्र रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्ययकी फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) विभाग अनिवार्य रूप शासन को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैशफलों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हों।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।

7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–आयोजनेत्तर–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद–02–मजदूरी तथा संलग्न बी0एम0–15 के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–167(NP)/वित्त–4/2010, दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव ।

संख्या– २६९० /XV-2/1(28)/2005तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

प्रपत्र बी0एम0–15

वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग

नियंत्रक अधिकारी–सचिव, पशुपालन

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–02

अनुदान संख्या–28

धनराशि रू0 हजार में

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कालम–01–में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2405–मछली पालन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व–400	80	120	200–क	02–मजदूरी–200–ख	260	200	क–सरप्लस होने के कारण ख–आवश्यकता होने के कारण।
योग–	80	120	200	200	260	200	

(रू दो लाख मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों व सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

संख्या– 1675 /वित्त अनुभाग–04/2010

देहरादूनः दिनांक 3 सितम्बर, 2010

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2690 /XV-2/1(28)05/2006, दिनांक 5/10 सितम्बर, 2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–04:

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।